राहुल गांधी जी कार्यक्रम

सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु

दिनांक	19 सितम्बर 2026 (शनिवार)
स्थल	आई.डी.ए. भूमि, रीजनल पार्क के सामने, कस्तूरबा ग्राम
थाना / जोन	राजेन्द्र नगर / जोन-1, पुलिस आयुक्तालय इंदौर
सुरक्षा श्रेणी	Z+ (ASL) – सी.आर.पी.एफ. वी.आई.पी. सुरक्षा विंग

विषय-सूची

भाग-1 सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु – कुल 30

भाग-2 आयोजकों हेतु समय-सारणी – 16, 17, 18 एवं 19 सितम्बर

भाग-1 : सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु

1. आयोजकों द्वारा **अपेक्षित उपस्थिति की वास्तविक संख्या लिखित शपथ-पत्र** पर प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें **पुरुष एवं महिला/छात्राओं की पृथक-पृथक संख्या** अंकित होगी। स्थल की क्षमता से अधिक संख्या की अनुमति नहीं होगी तथा स्वीकृत क्षमता भरने पर प्रवेश रोकने का अधिकार पुलिस के पास सुरक्षित रहेगा।
2. **आगमन का स्रोत एवं परिवहन का विवरण** प्रस्तुत किया जाएगा – किस जिले/तहसील/महाविद्यालय से कितने व्यक्ति आ रहे हैं, कितने बस से, कितने निजी वाहन से एवं कितने रेल से; बसों की कुल संख्या, **वाहन क्रमांक, चालक का नाम एवं मोबाइल** सहित सूची, तथा प्रत्येक समूह का आगमन मार्ग, अनुमानित समय एवं निर्धारित पार्किंग पॉकेट पूर्व में तय किया जाएगा, ताकि सम्पूर्ण भीड़ एक साथ न पहुँचे।
3. स्थल का **स्केल-मैप** प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें मंच, D-एरिया, सेक्टर विभाजन, गैंगवे, होल्ड-अप एरिया, प्रवेश एवं निकास द्वार, आपातकालीन कॉरिडोर तथा पार्किंग स्पष्ट रूप से अंकित हों।
4. सम्पूर्ण भीड़ को अधिकतम **2,000 व्यक्ति क्षमता के पृथक सेक्टरों** में विभाजित किया जाएगा; प्रत्येक सेक्टर का रंग-कोड, क्रमांक एवं **नामित सेक्टर प्रभारी** होगा।
5. प्रत्येक सेक्टर के बीच **पर्याप्त चौड़ाई का गैंगवे** होगा जो सीधे निकास द्वार तक जाएगा तथा भीड़ की संख्या के अनुपात में इतना चौड़ा रखा जाएगा कि आपात स्थिति में निकासी बाधित न हो, तथा प्रवेश द्वार से मंच तक **6 मीटर चौड़ा आपातकालीन कॉरिडोर** (एम्बुलेंस/अग्निशमन हेतु) सम्पूर्ण अवधि में पूर्णतः खाली रहेगा। इनमें कुर्सी, सामग्री अथवा कोई अवरोध पूर्णतः वर्जित।
6. मंच के समक्ष **न्यूनतम 25 से 30 फीट का खाली D-एरिया** रहेगा जिसमें केवल सुरक्षाकर्मी रहेंगे; **दोहरी, आपस में बँधी हुई (interlocked) एम.एस./स्टील बैरिकेडिंग** अनिवार्य होगी। मीडिया हेतु पृथक प्रेस-पिट, मंच के एक पार्श्व में।
7. मंचस्थ अतिथि, मंचस्थ छात्र, स्वयंसेवक एवं मीडिया हेतु **पृथक-पृथक होल्ड-अप एरिया** बनाए जाएँगे, जहाँ तलाशी के उपरांत ही प्रवेश होगा; प्रत्येक में बैठक, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था रहेगी।
8. **डोम/पंडाल** पूर्णतः **अग्निरोधी सामग्री** से बनेगा (प्रमाण-पत्र सहित), न्यूनतम 20 फीट ऊँचा, कम-से-कम दो पार्श्व खुले, छत-वेंट सहित तथा **गाइ-वायर से सुदृढ़ एंकरिंग** युक्त।
9. **मंच** की ऊँचाई न्यूनतम 4–5 फीट, ठोस बैकड्रॉप सहित; मंच तक केवल **एक नियंत्रित पहुँच-मार्ग**, रैम्प के दोनों ओर बल; मंच के पीछे समर्पित निकास एवं रिटायरिंग रूम; 30 मीटर के भीतर एम्बुलेंस; मंच पर अग्निशामक यंत्र तथा डी.जी. सेट न्यूनतम 25 मीटर दूर एवं बैरिकेडेड।
10. **संरचनात्मक एवं सिविल सुरक्षा प्रमाण-पत्र** प्रस्तुत किया जाएगा – मंच, डोम/पंडाल, ट्रस, मचान, LED स्क्रीन एवं मीडिया प्लेटफॉर्म की भार-क्षमता एवं स्थायित्व हेतु, लोक निर्माण विभाग अथवा चार्टर्ड इंजीनियर से।
11. **न्यूनतम 6 प्रवेश एवं 8 निकास द्वार**, प्रत्येक की चौड़ाई न्यूनतम 6 मीटर। निकास द्वार कार्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि में खुले रहेंगे तथा प्रत्येक पर नामित **निकास अधिकारी** तैनात रहेगा। द्वार कार्यक्रम प्रारंभ से 3 घंटे पूर्व खोले जाएँगे।
12. प्रत्येक प्रवेश द्वार पर तलाशी की व्यवस्था – कुल **न्यूनतम 20 डी.एफ.एम.डी.** (स्थापित, विद्युत-युक्त एवं कैलिब्रेटेड, 4 आरक्षित) तथा **न्यूनतम 30 से 40 एच.एच.एम.डी.** (चार्ज्ड एवं अतिरिक्त बैटरी सहित, 10 आरक्षित), आयोजकों के व्यय पर।
13. प्रत्येक प्रवेश द्वार पर **महिलाओं हेतु पृथक पर्दायुक्त फ्रिस्किंग एनक्लोजर** तथा पर्याप्त महिला सुरक्षाकर्मी/स्वयंसेवक अनिवार्य रूप से रहेंगी।
14. **महिला सुरक्षा** – महिलाओं/छात्राओं हेतु पृथक बैठक ब्लॉक एवं पृथक प्रवेश-निकास, पर्याप्त संख्या में महिला शौचालय, **महिला हेल्प डेस्क**, तथा महिला स्वयंसेवक एवं महिला निजी सुरक्षा गार्ड की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।
15. **प्रतिबंधित सामग्री की सूची** (बैग, डंडा, ध्वजदंड, काँच, ज्वलनशील पदार्थ, लेज़र, पटाखा आदि) प्रत्येक द्वार पर बड़े अक्षरों में प्रदर्शित होगी तथा सामग्री जमा कराने हेतु **क्लॉक-रूम** की व्यवस्था रहेगी।
16. **निकट सम्पर्क (close proximity) सूची** – मंच पर बैठने वाले व्यक्तियों तथा मंचस्थ छात्रों की सूची (नाम, पिता का नाम, पता एवं फोटो-पहचान सहित) **24 घंटे पूर्व** प्रस्तुत की जाएगी; **अंतिम क्षण में कोई नाम नहीं जोड़ा जाएगा**।
17. **पास प्रणाली** – मंच, D-एरिया, मीडिया, स्वयंसेवक एवं वाहन हेतु **रंग-कोडित, होलोग्राम/QR युक्त पास**; समस्त सूचियाँ 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत तथा पास का नमूना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत। पास के दुरुपयोग का उत्तरदायित्व आयोजकों का होगा।

18. अपेक्षित उपस्थिति के **न्यूनतम 10 प्रतिशत के अनुपात में स्वयंसेवक**, अर्थात् **न्यूनतम 1,500 स्वयंसेवक** (जिनमें कम-से-कम 500 महिला) सेक्टरवार आवंटन सहित तैनात किए जाएँगे; समस्त स्वयंसेवक **एक समान रंग की पृथक टी-शर्ट/जैकेट, टोपी एवं फोटोयुक्त पहचान-पत्र** धारण करेंगे, जिससे वे भीड़ में सहज पहचाने जा सकें; साथ ही **PSARA पंजीकृत निजी सुरक्षा एजेंसी** के प्रशिक्षित कर्मी (महिला गार्ड सहित)। समस्त सूचियाँ 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत तथा D-1 को पुलिस द्वारा संयुक्त ब्रीफिंग।

19. **न्यूनतम 40 सी.सी.टी.वी. कैमरे** (रात्रि दृष्टि युक्त) – समस्त द्वार, प्रत्येक सेक्टर, गैंगवे, मंच परिक्षेत्र, होल्ड-अप एरिया एवं समस्त पार्किंग पॉकेट को कवर करते हुए; **लाइव फीड पुलिस नियंत्रण कक्ष को** उपलब्ध तथा रिकॉर्डिंग न्यूनतम 30 दिन सुरक्षित।

20. स्थल पर **एकीकृत नियंत्रण कक्ष** स्थापित किया जाएगा, जिसमें पुलिस, यातायात, अग्निशमन, चिकित्सा, नगर निगम, विद्युत विभाग एवं आयोजक प्रतिनिधि एक साथ बैठ सकें; बैकअप विद्युत आपूर्ति सहित।

21. **उद्घोषणा प्रणाली (PA System)** – मुख्य प्रणाली के अतिरिक्त **पूर्णतः स्वतंत्र बैकअप पी.ए. प्रणाली** (बैटरी/यू.पी.एस. पर), जो विद्युत अवरोध में भी कार्य करे; स्पीकर **सेक्टरवार** लगाए जाएँगे; पुलिस को **ओवरराइड** की सुविधा रहेगी; साथ ही सेक्टर प्रभारियों एवं निकास अधिकारियों हेतु **न्यूनतम 30 मेगाफोन**। ध्वनि परीक्षण D-1 को।

22. **प्रकाश व्यवस्था** – सम्पूर्ण स्थल, गैंगवे, समस्त द्वार एवं पार्किंग पॉकेट में पर्याप्त प्रकाश; विद्युत अवरोध पर तत्काल चालू होने वाली **बैटरी आपातकालीन लाइट** तथा निकास द्वारों पर **प्रकाशयुक्त/ग्लो "निकास" साइनेज** जो रात्रि में दूर से दिखाई दे।

23. **पार्किंग योजना अनुमति की पूर्व-शर्त है** – स्थल, क्षेत्रफल, क्षमता, प्रवेश/निकास मार्ग एवं शटल व्यवस्था सहित लिखित योजना अनिवार्य (मानक: 1 एकड़ ≈ 160 चारपहिया अथवा 1,600 दुपहिया)। पार्किंग वाहन-श्रेणीवार पृथक पॉकेट में होगी (दुपहिया, कार, बस, VIP, मीडिया OB वैन), प्रत्येक पॉकेट में नामित प्रभारी, प्रकाश, टोकन प्रणाली, सी.सी.टी.वी. तथा **कम-से-कम दो पृथक निकास**।

24. **मुख्य मार्ग, सर्विस रोड एवं रहवासी गलियों में वाहन पार्किंग पूर्णतः वर्जित** रहेगी, जिसे रोकना आयोजकों के स्वयंसेवकों का उत्तरदायित्व होगा; दूरस्थ पार्किंग से स्थल तक **शटल वाहन** आयोजकों द्वारा संचालित होंगे। उपकरण/सामग्री वाहनों हेतु निर्धारित प्रवेश-द्वार, समय-खिड़की एवं पास अनिवार्य। **पूर्व-प्रचार गतिविधि** (बाइक/वाहन रैली) हेतु पृथक अनुमति एवं निर्धारित मार्ग आवश्यक।

25. **समस्त प्रमाण-पत्र एवं अनापत्तियाँ** प्रस्तुत की जाएँगी – विद्युत सुरक्षा प्रमाण-पत्र (विद्युत निरीक्षक/लाइसेंसधारी ठेकेदार से, लोड, वायरिंग, अर्थिंग एवं डी.जी. सेट सहित), ध्वनि संबंधी अनुमति, अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र, मैदान का जल-निकासी/जल-भराव प्रमाण-पत्र, तथा स्थल-स्वामी (आई.डी.ए.) एवं नगर पालिक निगम की लिखित सहमति।

26. **चिकित्सा व्यवस्था** (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समन्वय से) – स्थल पर न्यूनतम **2 चिकित्सक, 4 पैरामेडिक, प्राथमिक उपचार कक्ष एवं 4 एम्बुलेंस** (1 ए.एल.एस.), निकटस्थ अस्पताल से लिखित टाई-अप एवं आपात बेड की पूर्व सूचना; साथ ही स्थल खुला मैदान होने से **न्यूनतम 2 प्रशिक्षित सर्प-पकड़ दल** एवं एंटी-वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

27. **पेयजल एवं शौचालय** – प्रति 500 व्यक्ति न्यूनतम एक जल-बिंदु तथा प्रति 250 व्यक्ति न्यूनतम एक मोबाइल शौचालय इकाई, पुरुष एवं महिला हेतु पृथक; छाया एवं ओ.आर.एस. की व्यवस्था।

28. **ड्रोन/यू.ए.वी. के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध** रहेगा (केवल पुलिस का अधिकृत ड्रोन प्रयुक्त होगा), तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अनुरूप, **रात्रि 10:00 बजे तक** ही किया जाएगा।

29. कार्यक्रम में कोई **आपत्तिजनक अथवा उत्तेजक चित्र, बैनर, पोस्टर या होर्डिंग** प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, तथा किसी **धर्म, जाति, समुदाय अथवा राजनीतिक/गैर-राजनीतिक संगठन के विरुद्ध भड़काऊ या अपमानजनक टिप्पणी** नहीं की जाएगी, जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो। LED स्क्रीन पर प्रदर्शित सामग्री का सार 24 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराकर प्रति पुलिस को उपलब्ध कराई जाएगी।

30. **खराब मौसम एवं आपातकालीन निकासी** – D-2 से प्रतिदिन मौसम पूर्वानुमान नियंत्रण कक्ष में प्रदर्शित; पंडाल जलरोधी, नालियाँ साफ़, गैंगवे एवं निकास मार्ग पर एंटी-स्किड मैटिंग, वायरिंग जलरोधी, ELCB/RCCB तथा मंच/ट्रस पर **तड़ित चालक**; **लिखित सेक्टरवार निकासी योजना** (कौन सा सेक्टर किस द्वार से) नक्शे में अंकित एवं प्रत्येक सेक्टर प्रभारी को उपलब्ध, निकासी समय **12 मिनट से अधिक नहीं**; D-1 को **मॉक ड्रिल**; निकासी की उद्घोषणा का पाठ हिंदी में पूर्व-लिखित; स्थल के बाहर चिह्नित **एकत्रण स्थल** एवं बिछड़े व्यक्तियों/बच्चों हेतु हेल्प डेस्क। मौसम अथवा अन्य आपात

स्थिति में कार्यक्रम रोकने, संक्षिप्त करने अथवा स्थगित करने का **निर्णय पुलिस/जिला प्रशासन का अंतिम होगा।**

31. आयोजक समस्त निर्माण, साज-सज्जा, विद्युत एवं ध्वनि कार्य **D-1 की सायं 6:00 बजे तक पूर्ण** कर लेंगे, जिसके उपरांत **बी.डी.डी.एस. एवं श्वान दल द्वारा एंटी-सबोटाज जाँच** कराकर **स्थल एवं मंच सील** कर दिए जाएँगे; तत्पश्चात बिना पुलिस जाँच कोई सामग्री, वाहन अथवा व्यक्ति भीतर नहीं जाएगा तथा आगमन से 2 घंटे पूर्व पुनः स्वीप होगा। **उपरोक्त शर्तों का पालन न होने अथवा किसी अप्रिय घटना से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व आयोजकों का होगा तथा अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।**

भाग-2 : आयोजकों हेतु समय-सारणी

कार्यक्रम दिनांक 19 सितम्बर 2026 – शेष चार दिवस में कब क्या करना है

16 सितम्बर (आज) – सूचना एवं योजना प्रस्तुत करें

1. **उपस्थिति का शपथ-पत्र** – कुल संख्या तथा पुरुष एवं महिला/छात्राओं की पृथक संख्या।
2. **आगमन एवं परिवहन विवरण** – जिलावार/महाविद्यालयवार संख्या, बसों की संख्या एवं वाहन क्रमांक, चालक का नाम/मोबाइल, प्रत्येक समूह का मार्ग, समय एवं पार्किंग पॉकेट।
3. **स्थल का लेआउट (स्केल-मैप)** – मंच, D-एरिया, सेक्टर, गैंगवे, होल्ड-अप एरिया, द्वार एवं आपातकालीन कॉरिडोर सहित।
4. **पार्किंग योजना** – पॉकेटवार स्थल, क्षमता, प्रवेश/निकास मार्ग एवं शटल व्यवस्था।
5. **स्वयंसेवक एवं सुरक्षा एजेंसी** – 1,500 स्वयंसेवकों (न्यूनतम 500 महिला) की सेक्टरवार सूची तथा PSARA पंजीकृत एजेंसी का विवरण।
6. **दो नोडल अधिकारी** के नाम/मोबाइल, आई.डी.ए. एवं नगर निगम की लिखित सहमति, तथा **संयुक्त स्थल निरीक्षण** में उपस्थिति।

17 सितम्बर – समस्त प्रमाण-पत्र एवं उपकरण

7. **प्रमाण-पत्र** – विद्युत सुरक्षा, ध्वनि अनुमति, अग्निशमन अनापत्ति तथा जल-निकासी/जल-भराव प्रमाण-पत्र।
8. **संरचनात्मक/सिविल सुरक्षा प्रमाण-पत्र** – मंच, डोम, ट्रस, मचान, LED एवं मीडिया प्लेटफॉर्म हेतु।
9. **चिकित्सा व्यवस्था** (सी.एम.एच.ओ. समन्वय से) – चिकित्सक, पैरामेडिक, 4 एम्बुलेंस, अस्पताल टाई-अप तथा 2 सर्प-पकड़ दल की पुष्टि।
10. **उपकरण स्थल पर** – 20 डी.एफ.एम.डी., 30–40 एच.एच.एम.डी. तथा 40 सी.सी.टी.वी. स्थापित कर नियंत्रण कक्ष से जोड़े जाएँ।
11. **लिखित आपातकालीन निकासी योजना** (सेक्टरवार, एकत्रण स्थल सहित), **पास की सूचियाँ एवं नमूना**, तथा **ड्रोन का प्रयोग न करने की घोषणा**।

18 सितम्बर – समस्त निर्माण कार्य पूर्ण (सायं 6:00 बजे तक)

12. **संरचना पूर्ण** – मंच, डोम/पंडाल, सेक्टर बैरिकेडिंग, पर्याप्त चौड़ाई के गैंगवे, 25–30 फीट D-एरिया, होल्ड-अप एरिया एवं आपातकालीन कॉरिडोर।
13. **द्वार एवं सुविधाएँ पूर्ण** – 6 प्रवेश/8 निकास, डी.एफ.एम.डी. एवं एच.एच.एम.डी. स्थापित एवं कैलिब्रेटेड, महिला फ्रिस्किंग एनक्लोजर, पेयजल, शौचालय, प्रकाश एवं डी.जी. सेट।
14. **पार्किंग पॉकेट तैयार** – अंकन, प्रकाश, टोकन काउंटर, सी.सी.टी.वी. एवं प्रभारी तैनात।
15. **निकट सम्पर्क/मंचस्थ व्यक्तियों एवं छात्रों की अंतिम सूची** प्रस्तुत – इसके बाद कोई नाम नहीं जुड़ेगा।
16. **परीक्षण एवं अभ्यास** – पी.ए. प्रणाली (मुख्य एवं बैकअप), सेक्टरवार स्पीकर, 30 मेगाफोन, आपातकालीन लाइट एवं ग्लो साइनेज का परीक्षण; **निकासी का मॉक ड्रिल** तथा स्वयंसेवकों/सेक्टर प्रभारियों की संयुक्त ब्रीफिंग।
17. **सायं 6:00 बजे** समस्त कार्य पूर्ण → **बी.डी.डी.एस. एवं श्वान दल द्वारा एंटी-सबोटाज जाँच** → **स्थल एवं मंच सील**। इसके बाद कोई नई सामग्री स्थल पर नहीं।

19 सितम्बर – कार्यक्रम दिवस

17. **प्रातः** – सर्प-पकड़ दल, चिकित्सा दल, एम्बुलेंस एवं अग्निशमन वाहन स्थल पर; नियंत्रण कक्ष सक्रिय; सी.सी.टी.वी. एवं पी.ए. प्रणाली का परीक्षण।
18. **कार्यक्रम से 3 घंटे पूर्व** – प्रवेश द्वार खुलेंगे, फ्रिस्किंग प्रारंभ, समस्त पार्किंग पॉकेट एवं शटल सेवा सक्रिय।
19. **आगमन से 2 घंटे पूर्व** – पुनः एंटी-सबोटाज स्वीप; इसके बाद केवल पास-धारक व्यक्ति एवं वाहन का प्रवेश।
20. **कार्यक्रम के दौरान** – निकास द्वार निरंतर खुले, गैंगवे एवं आपातकालीन कॉरिडोर पूर्णतः खाली, स्वयंसेवक सेक्टरवार तैनात।
21. **समापन** – सेक्टरवार चरणबद्ध निकास की उद्घोषणा (10 मिनट के अंतराल पर), ध्वनि यंत्र रात्रि 10:00 बजे बंद, तथा स्थल एवं समस्त पार्किंग पॉकेट खाली कराना।